



बुलन्दशहर पुलिस



OPERATION CONVICTION

गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास

दिनांक- 15.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **पर जनता में भय व आतंक व्याप्त करने के सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर** पंजीकृत 754/21 धारा-3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अभियुक्त **अकबर पुत्र फूलखान निवासी रोहिंदा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर** को मा०न्याया० एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया।



श्री योगेश कुमार
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



का० विनीत त्यागी
(पैरोकार)



है०का० नीरज
(कोर्ट मोहर्रि)